न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
—: आदेश :—

07-05-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या—31/2009, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री रवि जालान,** पिता—स्व0 मुरली मनोहर जालान, सा0—प्रथम तल्ला, किला हाऊस, थाना—चौक, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—84/2006 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक—05.10.2010 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा वाद को छः माह के अंदर मुखर आदेश पारित करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई पुनः आरम्भ करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—07.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा पिस्टल एवं रायफल की अनुज्ञप्ति के लिए दिए गए आवेदन पर एक ही साथ सुनवाई कर ली जाए। आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे स्वर्ण व्यवसायी हैं। उनका सोना—चांदी एवं हीरा के आभूषण का प्रतिष्ठान है। पूर्व में उनकी दूकान से 15 लाख की संपत्ति की चोरी हुई थी। उनके threat perception को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था। उनके अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक—815/गो0, दिनांक—23.07.2006 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में मूल में संलग्न कर अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, चौक, पटना सिटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक, पटना सिटी द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, चौक, पटना सिटी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन

के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में पारित आदेश को संशोधित करते हुए श्री रवि जालान, पिता–स्व0 मुरली मनोहर जालान, सा0–प्रथम तल्ला, किला हाऊस, थाना–चौक, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री ज़ालान को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

(13)

जिला शस्त्र शाखा

वर्ष 2016 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त आवेदन की प्रतिलिपि आवेदक एवं व्यवसायी को भेजने संबंधी संचिका की जानी है।

आदेशार्थ की लिपि में प्रारूप अवलोकनार्थ

कृपया अवलोकनार्थ

21/5/2013

कृपया उपयुक्त टिप्पणी

प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

22/05/17

अमरेश कुमार अमर
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी
पटना